न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

विविध वाद सं0 – 261/2022 धारा 144 द0प्र0स0

नुरहसन अंसारी बनाम् जैनुल्लाह अंसारी

आदेश

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

9/1/023

अभिलेख उपस्थापित।

यह वाद थाना प्रभारी, रंका से प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 09/022 के द्वारा 144 द0प्र0स0 प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
कंचनपुर	09	255	0.08 एकड़	गैरमजरूआ	सेबरात्री अंसारी वगै0	नुरहसन अंसारी	दुखन मियाँ

उभय पक्षों द्वारा कारणपृच्छा समर्पित किया गया है। प्रथम का कथन है कि वर्णित पुनरीक्षण सर्वे खाता संख्या 09 पुराना सर्वे खतियान के खाता संख्या 06 से तैयार किया गया है। पुराना खाता संख्या 06 का कुल रकबा 9.13 एकड़ रकबा पुराना खतियान में इदन मियां नामक व्यक्ति के नाम से रैयती दर्ज था। इदन मियां कालांतर में अपने पिदे अपने तीन पुत्रों1. मतवर मियां 2. अब्दुल मियां 3. रहीम मियां तथा दो पुत्रियों क्रमशः भगमनी बीबी एवं हसनी बीबी को छोड़कर मरे जो उनकी सम्पति के मुस्लिम विधि के अनुरूप उत्तराधिकारी एवं कब्जा में रहे। इस प्रकार मुस्लिम विधि के अनुसार इदन मियां की समस्त सम्पति भूमि के 1/4 भाग हिस्सा भूमि अर्थात खाता संख्या 06 के कुल 2.28 ¼ एकड़ भाग के हक में काबिज रहे। इस प्रकार सर्वे रैयत के अन्य पुत्र अलग–अलग ¼ भाग 2.28 ¼ एकड़ के हिस्सेदार हुए तथा उनकी दोनों पुत्रियाँ सम्मिलित रूप से ¼ भाग अर्थात् 1/8 भाग पर प्रत्येक बहन हिस्सेदार हुए अर्थात् इदन मियां की दोनों बेटियों को अलग–अलग 1.14 1/8 एकड़ भूमि का हिस्सा प्राप्त हुआ जिस पर वे जोत–कोड़ अपने–अपने कब्जे में चले आ रहे है। कालान्तर में उक्त इदन मियां की दोनों पुत्रियाँ भगमनियाँ बीबी एवं हसनी बीबी ने अपने हिस्से की भूमि में से 0. 70 एकड़ भूमि अब्बास अंसारी, नेजाम असांरी, रेयाज अंसारी एवं सेराज अंसारी के हाथों उचित प्रतिफल पकार निबंधित विक्रय पत्र संख्या 4191 दिनांक 16.09.1988 को बेचा तथा उन्हे बिक्री भूमि का दखल कब्जा भी सौंप दिया। मतवर मियां वल्द इदन मियां अपने पिदे अपने एकमात्र पुत्र उदीन मियां एवं एक बेटी सकीना बीबी को अपना उतराधिकारी के रूप में छोड़कर मरे जो मतवर मियां की मृत्यु के बाद कैडेस्ट्रल सर्वे खाता संख्या 06में उन्हें प्राप्त 2. 28 ¼ एकड़ हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक दखल–कब्जा में रहे है। नूरहसन अंसारी प्रथम पक्ष के हाथों निबंधित विक्रय पत्र संख्या 937 दिनांक 24.03.2022 के माध्यम से बेचा तथा तत्काल उक्त भूमि का भी दखल–कब्जा सभी ग्रामीण के पूर्ण जानकारी मे सौंप दिया, इस प्रकार इस नूरहसन अंसारी को पुराना खाता संख्या 06 पुराना प्लॉट 55 से निर्मित नया खाता संख्या 09 नया प्लॉट संख्या 255 के 0.08 एकड़ रकबा पर (विवादी भूमि) हक दखल कब्जा कायम हुआ, कालान्तर में अंचल अधिकारी, रंका द्वारा जॉच पड़ताल के बाद इस नामित प्रथम पक्षकार के नाम से उपयुक्त विवादी भूमि नामान्तरण भी इस नूरहसन अंसारी के नाम स्वीकार किया गया और प्रथम पक्ष राजस्व रसीद प्राप्त कर रहे है।

द्वितीय पक्षकारों ने उक्त अंचल राजस्व कर्मचारी के मेल में लाकर नाजायज रूप से अपने नाम से कथित रूप से नामांतरण वाद संख्या VII/426 सन् 1988–89 के रूप में अपने नाम पर करवाकर राजस्व रसीद निर्गत करवा लिया है। इसके विरूद्ध प्रथम पक्षकार ने म्यूटेशन अपील डी0सी0एल0आर, गढ़वा के न्यायालय में प्रस्तुत किया सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया। प्रथम पक्षकार ने विद्वान अपर समाहर्ता, गढ़वा के न्यायालय में नामांतरण रिविजन संख्या 108/91–92 समर्पित किया जिन्होने सुनवाई के पश्चात उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी के न्यायालय द्वारा कथित नामांतरण वा संख्या VII/426 सन् 1988–89 में पारित आदेश एवं उसके संबंधित नामांतरण अपील में एल0आर0डी0सी द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय पक्षकार कार्यवाही नहीं किया है। अतः अन्त में इस वाद में जारी प्रारंभिक आदेश इस नामित प्रथम पक्ष से वापस लेकर द्वितीय पक्षकारों के विरूद्ध इसे अत्यांकित किया जाय।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि 1 जैनुल्लाह असारी 2 इब्नुल्लाह असारी 3 गुलाम [illegible] असारी 4 गुल्बास असारी 5 गुलजार असारी सभी पिता मो0 अली मिया द्वारा निबंधित [illegible] 03.7.1987 को 1 जोहरी बीबी जौजे हमीद मिया 2 सलीमन बीबी पति हुसैन मिया दवारा ग्राम कचनपुर मे पुराना खाता 6 पुराना प्लॉट 55 का रकबा 0.20 एकड भूमि चौहदी उ0 रसूल मिया द0 आसमाहम्मद पु0 रास्ता प0 हुसैनी मिया विवरण की भूमि क्रय किया साथ ही अन्य प्लॉट की क्रय किया गया है। क्रय कि गई भूमि पर जैनुल्लाह असारी व इनके चार भाई सम्पूर्ण क्रय भूमि पर दखल कब्जा मे रहे है। हाल सर्वे मे उक्त भूमि जो ग्राम कचनपुर मे स्थित है पुराना खाता 6 का नया खाता 9 एव पुराना प्लॉट 55 का नया प्लॉट 255 बन गया है। वाद मे वर्णित भूमि जैकिल्लाह असारी वगैरह द्वारा क्रय 0.20 एकड मे से ही 0.08 एकड है। इदन मिया का 8.50 एकड भूमि था। जिसमे तीन पुत्रो 1 मतउवर मिया को 2.22 एकड 2 अब्दुल मिया को 2.22 एकड 3 रहिमन मिया को 2.22 एकड तथा दो पुत्री 1 भगमनियाँ बीबी को 1.11 एकड 2 हसनी बीबी को 1.11 एकड हिस्सा प्राप्त हुआ। पूर्व मे पुराना खाता 6 जो इदन मिया का था कुल प्लॉटो का रकबा 9.13 एकड था जो नहर मे रास्ता मे व खतियानी रैयत के कब्रिस्तान मे 0.25 एकड चला गया है बाकि 8.88 एकड बचा जिसका चौथा हिस्सा 2.22 एकड होता है मतवर मिया को 2.22 एकड प्राप्त हुआ इनके अलावे 0.81 एकड भूमि मतवर मिया उदीन मिया सकिना बीबी व इनके वारिश द्वारा बिक्री 3.03 एकड कर दिया गया नूरहसन असारी प्रथम पक्ष ने इन्ही से भूमि लिया है जो 0.81 एकड अधिक बिक्री मे ही आता है। अन्त मे अनुरोध करते है कि वाद की जारी निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष से हटाई जाय एव प्रथम पक्ष नूरहसन असारी के विरूद्ध निषेधाज्ञा अत्याकित करने की कृपा की जाय। इस वाद की समय सीमा समाप्त वाद की कार्यवाही यथास्थिति समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
रक्सौल।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 12:08:47 +05:30
Location: 192.168.223.152